

न्यायालय:— अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:—डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 27 / 2013 अ०दी०

नरेश श्रीवास पुत्र श्री रामेश्वर श्रीवास आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम गिंगरखी परगना मेहगॉव, हाल निवासी गोहद चौराहा भिण्ड रोड, परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलॉन्ट / प्रतिवादी

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री रामजानकी ट्रस्ट कमेटी गोहद चौराहा परगना गाहद द्वारा— अध्यक्ष ट्रस्ट कृपाराम पुत्र गोकुलप्रसाद आयु 55 वर्ष निवासी मेहगॉव, हाल गोहद चौराहा, परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....रिस्पोंडेंट / वादी

अपीलार्थी द्वारा श्री एन०पी० कांकर अधिवक्ता।

प्रति अपीलार्थीग द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12-01-2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री केशव सिंह के द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 28ए/12 ई०दी० मूर्ति रामजानकी ट्रस्ट कमेटी गोहद वि० नरेश श्रीवास में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2013 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी मूर्ति मंदिर रामजानकी ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त स्थल का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी से दिलाए जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलार्थी के द्वारा अपील के दौरान एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाने बावत् निवेदन किया है।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि मूर्ती श्री रामजानकी ट्रस्ट की भूमि गोहद चौराहा जिला भिण्ड में स्थिति है, जिसका सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 है। मूर्ती रामजानकी गोहद चौराहा का विधिवत ट्रस्ट गठित होकर पंजीबद्ध है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में तथा प्रतिअपीलार्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

03. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम कीरतपुरा गोहद चौराहा के स्वामित्व व आधिपत्य की सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 है। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि भूमियाँ और दुकानें भी स्थिति है जो कि वादी मंदिर के स्वामित्व व आधिपत्य की है। उक्त ट्रस्ट जो कि एक विधिवत गठित ट्रस्ट होकर पंजीबद्ध है। जिसमें कृपाराम निर्वाचित ट्रस्ट के अध्यक्ष है। ट्रस्ट कमैटी के ठहराव के द्वारा मंदिर की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु कृपाराम को अधिकृत किया गया है। मंदिर की किसी भी सम्पत्ति से, किसी भी व्यक्ति का कोई हित नहीं रहा है।

04. वादी के द्वारा अपने दावे में आगे यह भी बताया गया है कि वादी ट्रस्ट की उक्त भूमि में से कुछ भाग जो कि विवादित भूमि है जिसको कि दावे के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है जिसके पूर्व से पश्चिम 10 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 20 फिट है। जिसकी चतुर सीमा उत्तर में वादी का खेत, दक्षिण में गोहद चौराहा से भिण्ड रोड, पूर्व में मंदिर की जमीन जिस पर लज्जाराम का अतिक्रमण तथा पश्चिम में मंदिर की जगह है जिस पर महेश का अतिक्रमण है जो कि विवादित भूमि के रूप में है। प्रतिवादी के द्वारा वादी की भूमि के उक्त वादग्रस्त स्थल के आगे गोहद चौराहा भिण्ड रोड पर सड़क के किनारे दुकान बनाई जो कि सन् 2005 में शासन के द्वारा शासकीय जगह होने से अतिक्रमण हटाया गया और प्रतिवादी ने दिनांक 01.05.2005 को मंदिर के स्वामित्व की विवादित जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादी को उक्त स्थल पर कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादी के द्वारा दिनांक 02.05.2005 को एक आवेदन मंदिर की जगह पर से कब्जा हटाने के लिए एस0डी0एम0 गोहद को दिया। राजस्व निरीक्षक ने पटवारी मौजा को साथ लेकर जाँच कराई गई और विवादित जगह पर प्रतिवादी का अतिक्रमण पाया जाने पर अधिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दिया गया, उस वक्त पुलिस बल उपलब्ध न होने से राजस्व निरीक्षक के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका और प्रतिवादी झगडा करने पर उतारू हो गया। दिनांक 01.07.2010 को प्रतिवादी ने वादग्रस्त जगह पर मिट्टी के गिलाव में पत्थर की दीवाल बनाकर टीनसेट डाल लिया। वादी ट्रस्ट के द्वारा उसे कब्जा हटाने के लिए कहा गया। प्रतिवादी ने कब्जा हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। उक्त स्थल पर कब्जा बनाये रखने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। विवादित स्थल से प्रतिवादी का

अतिक्रमण हटाए जाने बावत् दिनांक 31.08.2010 को नोटिस दिया गया, लेकिन प्रतिवादी ने कोई जबाव नहीं दिया और न ही अतिक्रमण हटाया, बल्कि अवैध रूप से मिष्ठान की दुकान दिनांक 15.08.12 को एक ही दिन में प्रारंभ कर दी। ट्रस्ट के द्वारा रोके जाने पर झगडा करने पर उतारू हो गए और उसके द्वारा कहा गया कि विवादित जगह कुशवाह समाज की है उस पर जबरन कब्जा कर के स्थाई निर्माण करेंगे, तब प्रतिवादी की बदनियती जाहिर हुई। वह वादग्रस्त स्थल को हडपना चाहता है। वादी ट्रस्ट प्रतिवादी से उक्त अपने स्वामित्व की उपरोक्त जगह पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। दावे को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वादग्रस्त स्थल से कब्जा बापस प्रतिवादी से दिलाए जाने और उसे अतिक्रमण मुक्त किए जाने तथा 3600/- रूपए वार्षिक क्षतिपूर्ति दिनांक 01.05.05 से कब्जा बापसी तक दिलाए जाने और उस पर ब्याज दिलाए जाने का निवेदन करते हुए दावा पेश किया गया है।

05. प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र का जबाव पेश करते हुए वादी के वादपत्र के अभिवचनों में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष कथनों को इंकार किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि वादग्रस्त स्थल की चतुरसीमा वादी ने गलत दर्शाई है। प्रतिवादी के कब्जे की जगह जिस पर टीनसेट बना है, वह 15 फिट पूर्व से पश्चिम और 20 फिट उत्तर से दक्षिण स्थल है। उक्त स्थल पर प्रतिवादी वर्ष 1984 से मंदिर श्री रामजानकी ट्रस्ट की ओर से किरायेदार है और इस प्रकार किराएदार की हैसियत से उसका वादग्रस्त स्थल पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादी ट्रस्ट की सहमति से विवादित जगह पर खण्डों की दीवाल व टीनसेट बनाया है। उक्त स्थल का प्रतिवादी किराएदार है और नियमित रूप से मंदिर श्री रामजानकी को किराया प्रदान करता चला आ रहा है। प्रतिवादी ने उक्त वादग्रस्त जगह से कब्जा हटाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। प्रतिवादी आज भी उक्त जगह पर मंदिर श्री रामजानकी का किरायेदार है और इस प्रकार से कब्जा बनाए रखने का अधिकारी है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। भूमि खसरा क्रमांक 7 जिसका वादित स्थल भू भाग होना बताया जा रहा है, वह कृषि भूमि है जिस कारण राज्य शासन आवश्यक पक्षकार है, किन्तु राज्य शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत एक राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है तथा धारा 257 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय को उपरोक्त दावे की सुनवाई का अधिकार भी नहीं है। वादग्रस्त ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम को ट्रस्ट से हटाए जाने की सिफारिश एस0डी0एम0 गोहद के द्वारा की गई है। ऐसी दशा में कृपाराम को वाद संचालित करने का कानूनी अधिकार न होना बताते हुए वादीगण के दावे को निरस्त किए जाने का निवेदन किया

है।

06. वादी एवं प्रतिवादी उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादप्रश्नों की रचना की गई है जिनके संबंध में निष्कर्ष लेखबद्ध किया गया है तथा विवादित स्थल वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का होना प्रमाणित मानते हुए और उस पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना भी प्रमाणित मानते हुए वादी का दावा स्वीकार कर इस संबंध में निर्णय व आज्ञा पारित की गई है।

07. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है। धारा 250 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि पर अतिक्रमण हटाने का राजस्व न्यायालय को एकांकी अधिकार है। ऐसी दशा में अतिक्रमण हटाने के संबंध में दावा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। कृपाराम ट्रस्ट का वैधानिक अध्यक्ष भी नहीं है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। कृपाराम को एस०डी०ओ० गोहद के द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए रिफ्रेश न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। मंदिर के सचिव बाबा रामकिशनदास है जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। रामकिशन दास को किराया देने बावत् बात मानी गई थी, किन्तु उसके बाद भी दावा डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य की सही एवं समुचित विवेचना नहीं की गई है। निर्णय व डिक्री साक्ष्य पर आधारित न होकर मात्र कल्पना पर आधारित है। प्रतिवादी सन् 1984 से विवादित स्थल पर किराएदार की हैसियत से आबाद है। ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08. प्रतिअपीलार्थी/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उस में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप या फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

09. अपीलार्थी अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का पेश करते हुए निवेदन किया है कि रामकिशन के द्वारा एस०डी०ओ० गोहद को की गई शिकायत के आधार पर जिसमें कृपाराम को अध्यक्ष पद से हटाए जाने का निवेदन किया गया है जो कि एस०डी०ओ० गोहद के द्वारा रिफ्रेश न्यायालय को भेजा गया है जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के द्वारा दिनांक 10.09.14 को आदेश पारित करते हुए उक्त प्रकरण में रामकृष्ण को ट्रस्ट का सचिव मानते हुए हितबद्ध पक्षकार मानकर सुनवाई का अवसर दिए

जाने का निवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु आवश्यक है। दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाने का निवेदन किया है।

10. प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदनपत्र का विरोध करते हुए यह बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 10.09.14 को पारित आदेश में कहीं भी रामकृष्ण को ट्रस्ट का सचिव नहीं माना है। उसमें मात्र रिफ्रेंश में पक्षकार बनाने संबंधी रामकिशन का निवेदन स्वीकार किया गया है। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. की शर्तों के अनुसार आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

11. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

1. क्या अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किए जाने योग्य है?
2. क्या प्रतिवादी के द्वारा मंदिर के स्वामित्व की विवादित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कर के कब्जा कर लिया गया है?
3. क्या प्रतिवादी की हैसियत वादग्रस्त भूमि पर किरायेदार के रूप में है?
4. क्या वादी उक्त स्थल का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है?
5. क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विधान के विपरीत होने से अपास्त किया जाने योग्य है?

—:विचारणीय बिन्दुओं पर निष्कर्ष के आधार:—

बिन्दु क्रमांक 1 पर निष्कर्ष :-

12. सर्वप्रथम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के संबंध में विचार किया गया। अपीलार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह आधार लेते हुए आवेदनपत्र पेश किया गया है कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में एस0डी0ओ0 गोहद के द्वारा प्रस्तुत रिफ्रेंश के परिप्रेक्ष्य में रामकृष्ण को ट्रस्ट का सचिव मानते हुए उसे सुसने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान प्रकरण में रामकृष्ण के द्वारा अपीलार्थी से किरायेदार के रूप में माना गया है, इस कारण उक्त दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाना जो कि प्रकरण के समुचित एवं न्यायोचित निराकरण में हो सकना उसके द्वारा बताया गया है।

13. उपरोक्त संबंध में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा व्यक्त किया गया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आदेश में कहीं भी रामकृष्ण को सचिव नहीं माना गया है, उसे मात्र सुनवाई का अधिकार दिया गया है।

14. अपीलार्थी के द्वारा पेश किए जा रहे दस्तावेज का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त दस्तावेज ट्रस्ट के विवाद के संबंध में है जिसमें कि एस०डी०ओ० गोहद के द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को हटाए जाने के संबंध में रिफ्रेंश पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश की जा रही है जो कि पश्चात्पूर्ति आदेश है। चूंकि उक्त आदेश ट्रस्ट के गठन एवं पदाधिकारियों के संबंध में संबंध में ही है, जो कि वर्तमान दावे से संबंधित होने से इस संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत जबाब और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य की विषयवस्तु से संबंधित होने से उक्त दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 लागूत 5 पर निष्कर्ष:-

15. भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकबा 1.690 हे० वादी मूर्ती श्री रामजानकी प्रबंधक ट्रस्ट कमेटी गोहद के भू-स्वामित्व की होने बावत् प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा वर्ष 2012-13 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 5 से तथा नक्शा अवक्ष प्र.पी. 6 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी ट्रस्ट के नाम पर भू-स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर वादी के स्वामित्व होने के तथ्य को प्रतिवादी के द्वारा अपने जबाबदावे में स्वीकार किया है। इस प्रकार भूमि सर्वे क्रमांक 7 रकबा 1.690 हे० मूर्ती श्री रामजानकी के भू-स्वामित्व की होना प्रमाणित होता है।

16. वादग्रस्त स्थल जो कि वादी के द्वारा दावे के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाए गए है जो कि उसके द्वारा उत्तर से दक्षिण 20 फिट तथा पूर्व से पश्चिम 10 फिट भूमि पर जिसके उत्तर में खेत वादी का दक्षिण में भिण्ड रोड, पूर्व में लज्जाराम का अतिक्रमण तथा पश्चिम में महेश का अतिक्रमण होना दर्शाया गया है। उक्त विवादित भू-भाग पर प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 01.05.05 को अतिक्रमण कर लिया जना बताया है। उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी के द्वारा अपने जबाब में वादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शा को गलत होना बताते हुए यह बताया है कि उसमें लम्बाई चौड़ाई भी गलत रूप से उल्लेख की गई है। प्रतिवादी के कब्जे की जगह जिस पर टीनसेट बना हुआ है वह 15 फिट पूर्व से पश्चिम तथा 20 फिट उत्तर से दक्षिण है। वादी ने चतुरसीमा गलत लिखी है। दक्षिण में पी०डब्ल्यू०डी० की जगह है और पूर्व में गौरव के कब्जे की जगह है तथा पश्चिम में खटीक की दुकान है। प्रतिवादी के द्वारा यह भी बताया गया है कि दिनांक 01.05.05 को अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि सन् 1984 से वह वादग्रस्त भूमि का मंदिर श्री रामजानकी ट्रस्ट की ओर से किराएदार है और उसी समय से किराएदार की हैसियत से निरंतर निरविघ्न उसका कब्जा चला आ रहा है तथा वादी के इस अभिवचन को भी गलत बताया है कि प्रतिवादी ने सन् 2005 में शासकीय भूमि पर दुकान बनाई थी जिसे हटा दिये जाने के बाद प्रतिवादी ने वादग्रस्त जगह पर अतिक्रमण कर लिया

है।

17. वादग्रस्त स्थल की स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में पूर्ववर्ती साक्ष्य तथा प्रतिवादी पक्ष के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त स्थल सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 के भू-भाग में स्थित है। इस संबंध में वादी पक्ष के द्वारा विवादित बताए गए स्थान जिस पर उसके अनुसार प्रतिवादी ने अतिक्रमण किया है का नक्शा पेश किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत विवादित स्थल की स्थिति को स्वयं प्रतिवादी नरेश उर्फ रामनरेश श्रीवास प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा स्वीकार करते हुए यह बताया है कि जिस जगह पर उसकी दुकान है वह जगह मंदिर रामजानकी ट्रस्ट की है। उसकी दुकान से लगी हुई पूर्व में मंदिर की जगह में लज्जाराम कुशवाह की दुकान, पश्चिम में महेश की दुकान, उसकी दुकान के पीछे मंदिर का खेत और दुकान के सामने भिण्ड रोड। इस प्रकार वादी के द्वारा दावा के साथ नक्शा पेश किया गया है, उस नक्शे में दर्शाए गए विवादित स्थल की चतुरसीमा को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया गया है।

18. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने अभिवचन में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त स्थल पर उनका आधिपत्य अतिक्रमक के रूप में होकर अवैधानिक नहीं है, बल्कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी वादी का वैधानिक किराएदार है और उस पर उनका कब्जा किराएदार की हैसियत से सन् 1984 से है जो कि मंदिर रामजानकी ट्रस्ट के द्वारा वादग्रस्त स्थान उसे किराएदारी में दिया गया है और उस पर निरंतर उसका कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त जगह का नियमित रूप से किराया मंदिर रामजानकी ट्रस्ट को भुगतान करता चला आ रहा है। वादी ट्रस्ट के द्वारा अपने कार्य एवं व्यवहार से किराया स्वीकार करने के आधार पर भी प्रतिवादी वैधानिक किरायेदार है और उसे कब्जा बनाए रखने का अधिकार है।

19. प्रतिवादी के द्वारा अपने अभिवचन एवं साक्ष्य कथन में यह भी बताया है कि वादी कृपाराम रामजानकी ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं है, उसके द्वारा जिस प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष होना बताया गया है वह फर्जी है इस कारण कृपाराम को दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपाराम को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के संबंध में रामकिशन के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एस0डी0ओ0 गोहद के द्वारा कार्यवाही की गई है जो कि न्यायालय में संचालित है।

20. प्रतिवादी का वादग्रस्त स्थान पर वादी ट्रस्ट के किराएदार की हैसियत से आधिपत्यधारी होने का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में विवादित स्थल पर ट्रस्ट का किराएदार होने के संबंध में कोई किरायनामा प्रतिवादी के द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी नरेश के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पास मंदिर का किराएदार होने के संबंध में कोई लिखापट्टी नहीं है। यद्यपि किराएदारी मौखिक भी हो सकती है।

किराएदारी मौखिक होने के तथ्य को भी प्रतिवादी प्रमाणित नहीं करा पाया है। इस संबंध में विवादित स्थल पर प्रतिवादी ट्रस्ट का किराएदार होने के संबंध में किराए की कोई भी रसीद जो कि ट्रस्ट के द्वारा दी गई है और जिनसे इस बात की पुष्टि होती हो कि प्रतिवादी किराएदार की हैसियत से आधिपत्य में है, ऐसी कोई भी रसीद प्रतिवादी के द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा यह बताया गया है कि उसके द्वारा सन् 1984 से किराया रामजानकी ट्रस्ट में नियमित रूप से ट्रस्ट को भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा किराया अदा करने के संबंध में प्र.डी. 1 की रसीद तथा डायरी प्र.डी. 2 जिसकी प्रति प्र.डी. 3 है पेश करते हुए बताया है कि उसने कृपाराम, मनुसिंह व बाबा को किराया दिया है। इस संबंध में उसके द्वारा रामकिशनदास प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 का परीक्षण भी कराया गया है।

21. दस्तावेज प्र.डी. 1 जो कि रशीद दिनांक 05.03.1984 की होना बताई गई है, उक्त रशीद किराए के संबंध में है ऐसा दर्शित नहीं होता है। उक्त कथित रशीद में किराए को काटकर एडवांस जमा लिखा गया है। ऐसी दशा में उक्त रशीद किराए के संबंध में दी गई है ऐसा नहीं माना जा सकता। रशीद पर न तो कोई ट्रस्ट की शील लगी है और न ही यह स्पष्ट है कि उक्त कथित किराया किसे अदा किया है। प्रतिवादी के द्वारा जो डायरी पेश की गई है जिसमें कि कुछ राशियाँ विभिन्न सालों में प्राप्त करने के संबंध में बाबा रामकिशनदास के द्वारा प्रविष्टि की जानी बताई गई है जो कि किराया प्राप्ति के संबंध में होना उसके द्वारा बताया जा रहा है। उक्त डायरी के साक्ष्य मूल्य का जहाँ तक प्रश्न है। कोरी डायरी जो कि कई पृष्ठों की है उसके कुछ पृष्ठ पर प्रविष्टियाँ की गई है, जिसे कि किराए की प्राप्ति के संबंध में ट्रस्ट की ओर से प्राप्त की जाने की अभिस्वीकृति होनी बताई जा रही है। उक्त डायरी में प्रविष्टि के आधार पर कहीं भी ऐसा दर्शित नहीं होता है कि कब से कब तक का किराया उसके द्वारा अदा किए जाने के संबंध में प्रविष्टि है। यह भी उल्लेखनीय है कि किराया प्राप्ति के संबंध में यदि भवन स्वामी किरायेदार से कोई किराया प्राप्त कर रहा है तो इस संबंध में किराये की रसीद प्रदान की जाती है, किन्तु किराए की रसीद क्यों नहीं निष्पादित की गई है और किन कारणों से उसे पेश नहीं किया गया है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त डायरी प्रविष्टि जो कि कुछ वर्षों के बीच की होनी बताई जा रही है, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वह कब एवं किस काल की है। प्रतिवादी रामनरेश ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि प्र.डी. 2 और प्र.डी. 3 की डायरी उसकी निजी डायरी है। उससे हरीदास बाबा ने पैसे लिए थे। हरीदास बाबा ट्रस्ट के किसी पद पर नहीं है। रामकिशन भी ट्रस्ट के किस पद है उसे नहीं मालूम। उसने किराए के पैसे जिसको दिए है उसके हस्ताक्षर डायरी में कराए हैं। रामकिशनदास से उसने किराए की छपि रशीदें कभी नहीं मांगी थी। जबकि उक्त

साक्षी के द्वारा कंडिका 5 में यह स्वीकार किया गया है कि जब वह आया था तो ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम थे। इस बात को भी कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि जिस जगह पर कोई किरायेदार होता है उस जगह का किराया मालिक या पदाधिकारी को दिया जाता है।

22. किसी भी दस्तावेज के प्रदर्शित होने मात्र के आधार पर उसका साक्ष्य मूल्यवान नहीं माना जा सकता, बल्कि दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित किया जाना आवश्यक है तभी उसका साक्ष्य मूल्य होगा। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्र.डी. 1 की रशीद एवं प्र.डी. 2 व 3 की डायरी प्रविष्टि जो कि विवादित स्थल का किराया वादी ट्रस्ट को अदा कराने के संबंध में बताया जा रहा है। उक्त प्रविष्टि किराए के संबंध में है या उसके आधार पर वादी ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवादी को किरायेदार मानते हुए किराया प्राप्ति की अभिस्वीकृति होने के संबंध में उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

23. इस प्रकार प्रतिवादी वादग्रस्त स्थल पर वादी ट्रस्ट का किराएदार होना एवं उसका विवादित स्थल पर किरायेदार की हैसियत से आधिपत्यधारी होने के संबंध में अथवा वादी ट्रस्ट की अनुमति से उसके द्वारा विवादित स्थल पर कोई निर्माण किया जाना के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा किया गया अभिवचन प्रमाणित नहीं होता है।

24. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने तर्क के द्वारा यह भी मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि मूर्ती मंदिर रामजानकी ट्रस्ट कमेटी का कृपाराम अध्यक्ष नहीं है, उसके द्वारा फर्जी प्रस्ताव पारित कर स्वयं को ट्रस्ट का अध्यक्ष बताया जा रहा है। रामकिशनदास जो कि ट्रस्ट के सचिव थे, उनके सचिव पद से हटाए जाने के संबंध में कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी दशा में जब कि कृपाराम ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं है उसे दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है।

25. इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह बताया गया है कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा कृपाराम को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के संबंध में रिफ्रेंश भेजा गया है। उक्त रिफ्रेंश प्रकरण में भी द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद के द्वारा रामकिशनदास को ट्रस्ट का सचिव होना माना गया है।

26. उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान दावा जो कि विवादित स्थल पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रामक रूप में कब्जा कर लिया जाना और कब्जा हटाने के संबंध में प्रस्तुत है। यह अविवादित है कि विवादित स्थल ट्रस्ट रामजानकी मंदिर गोहद चौराहा के स्वामित्व की है। उक्त ट्रस्ट के पदाधिकारियों का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में वादी के द्वारा ठहराव प्रस्ताव दिनांक 11.01.1986 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 2 पेश की गई है जिसमें कि मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति तथा अध्यक्ष के रूप में कृपाराम की

नियुक्ति की गई है। प्र.पी. 1 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि उक्त प्रस्ताव के आधार पर एस.डी. ओ. गोहद के द्वारा दिनांक 03.03.1986 को कार्यालय पंजी में उक्त ठहराव के अनुसार संसोधन की अनुमति देते हुए संसोधन किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रतिवादी के द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि कृपाराम के द्वारा ट्रस्ट के हित के विरुद्ध कार्य करने के कारण रामकिशन ने एस०डी०ओ० गोहद के समक्ष शिकायत की जिस पर कृपाराम को अध्यक्ष पर से हटाने के लिए एस०डी०ओ० गोहद के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया है। प्रतिवादी साक्षी रामकिशनदास अ०सा० 2 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि कृपाराम फर्जी रूप से अपने को ट्रस्ट का अध्यक्ष बता रहा है। जबकि वह ट्रस्ट का सचिव है और उसके द्वारा ही ट्रस्ट का सारा काम किया जा रहा है।

27. प्रतिवादी रामनरेश प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि मंदिर ट्रस्ट की बैठक व ठहराव की उसे जानकारी नहीं है। ट्रस्ट का निर्माण कब हुआ और किस के द्वारा किया गया इसकी भी उसे जानकारी नहीं है, मंदिर के संबंध में कौन-कौन से मुकद्दमे किन-किन के मध्य चल रहे हैं इसकी भी उसको कोई जानकारी नहीं है। प्रतिवादी साक्षी रामकिशन दास जो कि अपने को रामजानकी ट्रस्ट का सचिव बता रहा है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में बताया है कि वर्तमान ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष कौन हैं इसकी उसे जानकारी नहीं है। कंडिका 6 में बताया है कि कृपाराम अपने को ट्रस्ट का अध्यक्ष बताता है और कल्याण कोषाध्यक्ष और मनू सचिव बताता है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 भी महत्वपूर्ण है जिसमें उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम ने उसे मंदिर की भूमि पर माता के मंदिर के आगे पटिया गाढ़कर कब्जा कर लेने के आधार पर उक्त से हटाने के लिए दावा किया था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उस प्रकरण में यह निर्णय हुआ कि उक्त जगह का वह अधिक्रमण नहीं कर सकता केवल साधू बनकर भजन कर सकता है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में उसने कहीं भी अपने को मंदिर ट्रस्ट का सचिव नहीं बताया है। वादी पक्ष के द्वारा पंचनामा प्र.पी. 3 इस संबंध में पेश किया गया है जिसमें रामकिशन के द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने और कब्जा हटाने की कार्यवाही के संबंध में पंचनामा बनाया गया है। इस प्रकार उक्त आधारों पर भी यह स्पष्ट है कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपाराम ही रहे हैं।

28. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह भी बताया गया है कि कृपाराम को ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से हटाने हेतु एस०डी०एम० गोहद के द्वारा कार्यवाही की गई है और इस संबंध में रिफ्रेश न्यायालय में भेजा गया है। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद के यहाँ चल रही है इस संबंध में रिफ्रेश विविध प्रकरण क्रमांक 01/2014

आदेश दिनांक 10 सितम्बर, 2014 की प्रति पेश की गई है जिसमें रामकिशनदास के द्वारा पेश किये गए आवेदनपत्र में उक्त रिफ्रेंश में उसे भी सुने जाने बावत् निराकरण करते हुए उसे भी सुने जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश के आधार पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रामकिशनदास को वर्तमान ट्रस्ट का सचिव माना गया है अथवा कृपराम को अध्यक्ष नहीं माना गया है।

29. वर्तमान दावा मुख्य रूप से ट्रस्ट की भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पेश किया गया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है कि जिस समय प्रकरण पेश किया गया है उस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कृपराम ही काम कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा वर्तमान दावा पेश किया गया है जो कि दावा पेश करने हेतु अधिकृत है।

30. प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह आधार भी लिया गया है कि वर्तमान दावा कृषि भूमि से संबंधित है। कृषि भूमि के संबंध में दावा होने के कारण मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा उसे धारा 80 सी.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस दिया जाना भी आवश्यक है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि विवादित सर्वे क्रमांक जो कि अविवादित रूप से वादी ट्रस्ट के स्वामित्व की है उस पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना के आधार पर उसका अतिक्रमण हटाकर कब्जा बापस दिलाए जाने बावत् पेश किया गया है। आदेश 1 नियम 3ए सी.पी.सी. (म0प्र0संसोधन) में यह प्रावधान किया गया है कि कृषि भूमि के संबंध में घोषणा या किसी प्रकार के अधिकार का दावा बिना शासन को पक्षकार बनाए नहीं चल सकता। वर्तमान प्रकरण में दर्शाई गई भूमि यद्यपि खसरा में प्रविष्ट भूमि है, किन्तु उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य हो रहा है ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर स्वत्व की घोषणा या किसी अधिकार की घोषणा बावत् कोई भी दावा वादी का नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर म0प्र0शासन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, दावा अप्रचलनशील नहीं कहा जा सकता।

31. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि भूस्वामी के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण कर लेने पर अधिक्रमण हटाने हेतु धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने का एकांकी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के दावे सिविल दावे के रूप में नहीं आ सकते हैं जो कि धारा 257 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अनुसार इस प्रकार के दावे के सुनने का कानून अधिकार सिविल को नहीं है, इस कारण भी दावा चलने योग्य नहीं है।

32. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि धारा 250 म0प्र0

भू-राजस्व संहिता में भू-स्वामित्व की जगह पर अतिक्रमण कर लिये जाने की स्थिति में अतिक्रमण हटाए जाने बावत् राजस्व न्यायालय में कार्यवाही की जाने हेतु प्रावधान किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि भू-स्वामी के भू-स्वामित्व की जगह पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमण हटाने हेतु उपरोक्त प्रावधान है, मात्र इस आधार पर सिविल दावा पेश करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। इस प्रकार किसी की भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित पक्षकार को सिविल न्यायालय में दावा पेश करने का अधिकार बना रहता है, धारा 257 म०प्र० भू-राजस्व संहिता में कहीं भी इसका बर्जन नहीं किया गया है। दोनों ही प्रकार की सहायता संबंधित पक्षकार के पास है और वह उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। ऐसी दशा में वादी का दावा उक्त आधार पर भी अप्रचलनशील होना नहीं कहा जा सकता।

33. इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य वैधानिक होना अथवा प्रतिवादी का उस पर वादी के किराएदार की हैसियत से काबिज होने का तथ्य कहीं भी प्रमाणित नहीं है। बल्कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि विवादित स्थल पर जो कि वादी की भूमि है उसके विवादित बताए जा रहे भू-भाग पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भू-भाग पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में तहसीलदार गोहद के द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से जॉच रिपोर्ट व अतिक्रमण हटाए जाने बावत् पत्र जारी किया गया है जोकि प्र.पी. 7 है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन तहसीलदार गोहद को दिया गया है जिसमें ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जाने का उल्लेख आया है जो कि प्र.पी. 8 है, प्र.पी. 9 का पंचनामा भी इस संबंध में बनाया गया है जिसमें भी विवादित स्थल पर वर्तमान प्रतिवादी सहित अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किये जाने का उल्लेख है। उक्त कार्यवाही भी इस बात को दर्शाती है कि वादग्रस्त स्थल पर प्रतिवादी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और वह वादग्रस्त स्थल से अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे है।

34. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जब कि सर्वे क्रमांक 7 रकवा 1.690 वादी ट्रस्ट के स्वामित्व का होना प्रमाणित है जिसका भाग वादग्रस्त सम्पत्ति है। प्रतिवादी का वादग्रस्त बताए गए भू-भाग पर कोई वैधानिक आधिपत्य होना अथवा प्रतिवादी के किराएदार के रूप में उसका आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी की हैसियत अतिक्रामक के रूप में है और उसके द्वारा उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया जाना भी प्रमाणित होता है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में निराकरण कर उत्तर हाँ में दिया जाता है, जबकि बिन्दु क्रमांक 3 के संबंध में निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

35. वादग्रस्त सम्पत्ति जो कि वादी ट्रस्ट की सम्पत्ति है उस पर प्रतिवादी के द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया है। प्रतिवादी की हैसियत मात्र अतिक्रामक के रूप में है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दी गई फाईंडिंग एवं निकाला गया निष्कर्ष प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में निकाला गया निष्कर्ष तत्थात्मक एवं वैधानिक स्थिति के विपरीत नहीं है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाना पाया जाता है।

36. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में यद्यपि डिक्री पारित करते समय वादी को भूमि सर्वे क्रमांक 1.690 का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने का उल्लेख भी किया गया है, जबकि वादी/प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पृथक से इस प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गई थी, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा न चाही गई सहायता के संबंध में भी डिक्री में उल्लेख किया गया है जबकि विवादित स्थल पर वादी ट्रस्ट का स्वामित्व अविवादित है, इस परिप्रेक्ष्य में यदि डिक्री में उक्त उल्लेख किया गया है तो इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री पर नहीं पड़ता।

37. इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में उचित रूप से विचार करते हुए एवं वादप्रश्नों पर निष्कर्ष निकालते हुए निर्णय तथा तदनुसार डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अवैधानिकता नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप न किए जाने का कोई आधार अथवा कारण नहीं है।

38. तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2013 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी अपनी अपील का व्यय स्वयं वहन करेगा एवं प्रतिअपीलार्थी का अपील का व्यय भी उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार डिक्री पारित की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड